विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-08/16

श्री सुरेन्द्र शर्मा — आवेदक
मेसर्स ट्राइडेन्ट लिमिटेड,
3–नाधीर कालोनी, श्यामला हिल्स,
भोपाल म.प्र.

विरूद्ध

प्रबंध संचालक, — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
निष्ठा परिसर, बिजली नगर कालोनी,
गोविन्दपुरा, भोपाल।

आदेश

(दिनांक 08.06.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा शिकायत प्रकरण क्रमांक T/B-33/2016 श्री सुरेन्द्र शर्मा, मेसर्स ट्राइडेन्ट लिमिटेड विरूद्ध अधीक्षण यंत्री (ओ एण्ड एम) वृत्त, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. भोपाल में पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 के विरूद्ध आवेदक की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–08/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को दिनांक 06.06.2016 को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 06.06.2016 को सुनवाई के दौरान आवेदक एवं अनावेदक दोनों पक्ष उपस्थित हुए। आवेदक द्वारा तर्क के दौरान बताया गया कि –

अ ग्राम बुदनी में उनकी कंपनी मेसर्स ट्राइडेन्ट लिमिटेड द्वारा अनुज्ञप्तिधारी से 26000 केवीए का विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है।

ब इसी परिसर में उनके द्वारा 100 केवीए का अस्थायी कनेक्शन भी अनुज्ञप्तिधारी से लिया गया।

स उनके द्वारा परिसर का स्वीकृत संविदा भार के अतिरिक्त 11000 केवीए संविदा भार बढ़ाने हेतु संकल्प योजना के तहत ऑन लाईन आवेदन पत्र दिनांक 20.8.2015 को दिया गया।

द उपरोक्त अतिरिक्त संविदा भार की स्वीकृति मिलने से पूर्व ही उनके परिसर की संविदा भार 27650 रिकार्ड हुई जबकि उनका स्वीकृत संविदा भार 26100 केवीए थी। (अस्थायी कनेक्शन की संविदा भार शामिल करने के उपरांत)

04 आवेदक द्वारा बताया गया कि उपरोक्त अधिक संविदा भार रिकार्ड करने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संविदा में वृद्धि अस्थायी कनेकशन के भार के विरूद्ध बताया। तदनुसार टैरिफ आदेश वर्ष 2015–16 की सामान्य शर्तें एवं नियम के बिन्दु क्रमांक 1.17 के अनुसार उन्हें अधिक दर्ज हुई संविदा भार के विरूद्ध बिल दिया गया जबकि उन्हें अधिक डिमाण्ड रिकार्ड होने पर सामान्य शर्तें एवं नियम के बिन्दु क्रमांक 1.14 के तहत बिल दिया जाना था।

05 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि सितंबर माह में उनको 28,61,219/– रूपये का अधिक बिल दिया गया जो कि उच्चदाब अस्थायी कनेक्शन हेतु अस्थायी कनेक्शन की बिलिंग हेतु वर्ष 2015–16 के टैरिफ आदेश के प्रावधान के विपरीत है अतः यह राशि उन्हें वापिस दिलाई जाए।

06 तर्क के दौरान अनावेदक द्वारा बतया गया कि आवेदक द्वारा विद्यमान संविदा भार 26000 केवीए से अतिरिक्त 11000 केवीए बढ़ाने हेतु ऑन लाईन संकल्प योजना के अंतर्गत आवेदन 20.8.2015 को दिया था जिसकी कि स्वीकृति दिनांक 11.9.2015 दी गई एवं दिनांक 18.9.2015 को अनुबंध निष्पादित किया गया एवं उसी दिन अतिरिक्त संविदा भार 11000 केवीए के उपयोग की अनुमति दे दी गई।

07 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 4.62 में दिये गये प्रावधान एवं समय–सीमा एक माह के अंतर्गत ही अतिरिक्त संविदा भार की स्वीकृति दी जाकर उसके उपयोग की अनुमति दे दी गई थी।

08 तर्क के दौरान अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक की अतिरिक्त संविदा भार की अनुमति देने पर दिनांक 18.9.2015 को ही उनके परिसर में स्थापित मीटर की एमडी 0 (शून्य) रिसेट करते समय एमडी 27650 केवीए पाई गई थी जो कि स्वीकृत संविदा भार 26000 केवीए से अधिक थी। (ओई–1)

09 आवेदक का कहना कि स्वीकृत संविदा भार से अधिक संविदा भार दर्ज होने पर टैरिफ आदेश वर्ष 2015–16 में दिये गये सामान्य शर्तें एवं नियम में दर्शाये गये बिन्दु क्रमांक 1.14 बिलिंग हेतु उनपर लागू होंगे गलत है क्योंकि कंडिका 1.14 केवल उस स्थिति में लागू होती है जबकि आवेदक द्वारा अपनी स्वीकृत संविदा भार 26000 केवीए के अतिरिक्त 100 केवीए का अस्थायी भार नहीं लिया गया होता।

10 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि चूंकि आवेदक द्वारा स्वीकृत संविदा भार 26000 केवीए के अतिरिक्त 100 केवीए का अस्थायी भार लिया गया था अतः कंडिका 1.17 के अनुसार ही उन्हें डीम्ड कान्टेक्ट डिमाण्ड 26100 के विरूद्ध दर्ज हुई अधिक कान्टेक्ट डिमाण्ड को अस्थायी भार 100 केवीए के ऊपर मानते हुए बिल किये जाने का प्रावधान है। अतः उनको अधिक संविदा भार दर्ज होने पर दिया गया बिल 28,61,219/– रूपये सही एवं प्रावधान के अनुरूप है।

11 अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक को 100 केवीए का अस्थायी कनेक्शन स्वीकृत करते समय उन्हें यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि उनके अस्थायी कनेक्शन की बिलिंग टैरिफ आदेश की सामान्य शर्तें एवं नियम की कंडिका 1.17 की उप कंडिका (जी) में दर्शायी गई विधि के अनुसार की जायेगी। (ओई–2)

12 आवेदक एवं अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं किये गये तर्क के दृष्टिगत वर्ष 2015–16 के टैरिफ आदेश में दी गई सामान्य शर्तें एवं नियम के बिन्दु क्रमांक 1.14 एवं 1.17 का अवलोकन किया गया । कंडिका 1.17 की उप कंडिका (जी) में ऐसे उच्चदाब कनेक्शन जिनको कि

अस्थायी कनेक्शन भी स्थायी कनेक्शन के साथ दिया गया है, में बिलिंग किये जाने की विधि दर्शायी गई है जो निम्नानुसार है–

(g) In case of existing HT consumer, the temporary connection may be given through existing permanent HT connection on following methodology of assessment:

i. Fixed Charges shall be charged at 1.3 times the normal tariff

ii. Deemed contract demand (DCD) = CD for permanent connection + sanctioned demand for temporary connection.

iii. Billing demand and fixed charges for the month shall be worked out in the following manner :

1. When recorded MD in the month is found to be less than deemed CD for the month, fixed charges for the month shall be sum of fixed charges at temporary tariff on 100% temporary sanctioned demand + fixed charge at normal tariff on highest of **a** or **b**,

where **a** is Recorded MD minus temporary sanctioned demand and **b** is 90% CD of permanent connection.

2. When recorded MD in the month is found to be equal to deemed CD for the month, fixed charges for the month shall be sum of fixed charges at normal tariff on 100% CD for permanent connection + fixed charges at temporary tariff on 100% temporary sanctioned demand.

3. When recorded MD in the month is found to be in excess of deemed CD for the month, fixed charges for the month shall be sum of fixed charges at normal tariff on 100% CD for permanent connection + fixed charges at temporary tariff on 100% temporary sanctioned demand + fixed charges on 100% excess demand over and above deemed CD at 1.5 times of temporary tariff.

13 आवेदक को अस्थायी भार की स्वीकृति देते समय दिये गये सूचना पत्र (ओई–2) एवं टैरिफ आदेश वर्ष 2015–16 में दी गई सामान्य नियम एवं शर्तों के प्रावधानों एवं बिलिंग विधि से यह स्पष्ट है कि डीम्ड कान्टेक्ट डिमाण्ड से अधिक एमडी रिकार्ड होने पर आवेदक को दिया गया बिल प्रावधानों के अनुरूप एवं सही है।

14 अतः विद्युत शिकायत निवारण फोरम के आदेश की पुष्टि करते हुए आवेदक का अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

15 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल